रेरा कोर्ट के आदेश का 5 बिल्डरों ने नहीं किया पालन, चलेगा मुकदमा

सीजेएम की अदालत ने मामले का लिया संज्ञान

सिटी रिपोर्टर, पटना।

रेरा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने वाले पांच बिल्डरों पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। पटना के सीजेएम की अदालत ने इन बिल्डरों के खिलाफ रेरा के आदेश का पालन नहीं करने पर दायर मामलों का संज्ञान लिया है। इन बिल्डरों ने रेरा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अपनी परियोजनाओं का निबंधन नहीं कराया था। उनके विरुद्ध रेरा द्वारा आदेश पारित किया गया था। अब सीजेएम की अदालत में बिल्डरों पर मुकदमा चलेगा। ग्रीन सिटी रियल एस्टेट, अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड, अग्रणी होम रियल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री राम कंस्ट्रक्शन एवं रमन एंड कुमार कंस्ट्रक्शन तथा इन कंपनियों के निदेशकों पर मुकदमा चलेगा। दोषी पाए जाने पर इनको पांच साल तक की जेल हो सकती है।

निबंधन के बगैर ही अपार्टमेंट-प्लॉट बुकिंग कराया : इन बिल्डरों ने रेरा अधिनियम की धारा-3 का उल्लंघन किया था और अपने प्रोजेक्ट को रेरा बिहार में निबंधित कराए बिना अपार्टमेंट/प्लॉट का विज्ञापन/बुकिंग किया था। उनके खिलाफ स्वप्रेरणा से कार्यवाही शुरू की गई थी और रेरा कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाया गया था। प्रमोटरों ने जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया और नियमों का उल्लंघन जारी रखा।

पासपोर्ट जब्त होगा, चुनाव नहीं लड़ सकेंगे

रेरा बिहार ने सीजेएम की अदालत में बीएनएसएस और रेरा अधिनियम की संबंधित धारा के तहत बिल्डरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया है। अगर सीजेएम की अदालत द्वारा इन बिल्डरों को दोषी ठहराए जाता है, तो अन्य प्रतिबंधों के अतिरिक्त दोषी प्रमोटरों का पासपोर्ट भी जब्त किया जा सकता है। साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है।